

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सणगारी तहसील फुलियाकलां
प्रकरण संख्या - 37/2021
पीठासीन अधिकारी - राजकेश भीना (आर.ए.एस.)

उपनाम

- 1 सुखलाल पिता गोकुल माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 सोहनी पिता गोकुल माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 राधाकिशन पिता गोकुल माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 देवकरण पिता गोकुल माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- (प्रार्थीगण)

वनाम

- 1 ओमप्रकाश पिता हीरालाल माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 कंचन देवी पत्नि स्व. घीसा माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 जगदीश पिता हीरालाल माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 तेजमल पिता हीरालाल माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 दुर्गा पिता घीसा माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 किशन लाल पिता हीरालाल माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 7 कालू पिता भूरा माली उम्र वयस्क निवासी खेडाहेतम तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 8 प्रियंका पुत्री घीसा माली उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 9 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थीगण अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 11.11.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 10.03.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खेडाहेतम पटवार मण्डल सणगारी भूअ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 33 के आ.न. 166, 40 किता 2 रकबा 0.98 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 17.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपस्थित है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये।



महाराजस्थान न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सणगारी दिनांक 11.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश


प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेडाहेतम पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 33 के आ.न. 166, 40 किता 2 रकबा 0.98 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी वसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फुलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजियात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सणगारी के खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक जिला अधिकारी एवं
उपनिरीक्षक, फुलियाकला
तहसील, फुलियाकला
फुलियाकला (बी.बी.)

प्रतिलिपि-

- 1 तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।


उपनिरीक्षक, फुलियाकला
तहसील, फुलियाकला
फुलियाकला (बी.बी.)